हुक्म की कार्यवाही मय इनिषियलसजज

तारीख हुक्म	
02-02-2021	पत्रावली पेश हुवी। प्रार्थी की और से उनके अधिवक्ता एंव राज पैरोकार उपस्थित। तहसीलदार (राजस्व) कोलायत की और से रिर्पोट पेश हुई। जो शामिल मिसल रहे।

प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि वाके रोही मोजा डेह, तहसील कोलायत, जिला बीकोनर के खसरा नं. 98 तादादी 12.6500 हैक्टर व खसरा नं. 298 तादादी 3.5700 हैक्टर कुल तादादी 16.2200 हैक्टर है जिसमें प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/4 अविभाजित हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण के नाम क्रमशः सम्पति, लिछमणराम व मूलाराम नाम का अंकन है के स्थान पर प्रार्थीगण के नाम सरस्वतीदेवी पत्नि स्व. श्री बंशीराम उर्फ बंशीलाल, लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री बंशीराम उर्फ बंशीलाल व मूलचन्द पुत्र स्व. श्री बंशीराम उर्फ बंशीलाल का अंकन किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एंव सम्बन्धित कृषि भूमि का रिकॉर्ड, तथा उनके आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड व बैंक डायरी के दस्तावेजो का आवलोकन किया जिनमें प्रार्थीगण का नाम सरस्वतीदेवी पत्नि स्व. श्री बंशीराम उर्फ बंशीलाल, लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री बंशीराम उर्फ बंशीलाल व मूलचन्द पुत्र स्व. श्री बंशीराम उर्फ बंशीलाल अंकित है। इसलिए प्रार्थीगण के नाम उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में शुद्धिकरण किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की जमाबंदी एंव तद्आधारित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम सम्पति, लिछमणराम व मूलाराम के स्थान पर सरस्वतीदेवी पत्नि स्व. श्री बंशीराम उर्फ बंशीलाल, लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री बंशीराम उर्फ बंशीलाल व मूलचन्द पुत्र स्व. श्री बंशीराम, उर्फ बंशीलाल का नाम शुद्धिकरण करने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को आदेष की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.2.2021 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

प्रस्तुत कि
08.10.2020
नं. मु.

Scanned with CamScanner